कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक–528/357/समन्वय शा–1/आउशि/09, भोपाल, दिनांक–27/5/09

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

मध्यप्रदेश

विषयः– वर्ष 2009 हेतु संस्कृत पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण–पत्र पुरस्कार और इन्ही भाषाओं में युवा विद्वानों को महर्षि व्यास सम्मान प्रदान करने के सम्बन्ध में सिफारिशे ।

संदर्भः– म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 900/872/2009/2/38 भोपाल दिनांक 19.5.09.

————000————

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि आपके महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक जिनके पास शिक्षण अनुभव हो, साथ ही उनकी रचनायें प्रकाशित हुयी हो तथा जिन्होंने परम्परागत उपरोक्त विषयों के अध्ययन को जीवित रखा है तथा अन्तर विषयक अध्ययनों में उपलब्धि हासिल की है साथ ही आधुनकिता एवं परम्परा के बीच तालमेल बिठाने की प्रकिया में बढ़ावा देने का कार्य किया हो ।

संलग्न प्रपत्र में अपनी अनुसंशा के साथ जानकारी इस कार्यालय को 30 मई 2009 तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

26.5.2009

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा. मध्यप्रदेश

स्टेनो क्रमांक 1551 / शिक्षा-1/अनुशि/200

दिनांक 22/5/09

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 900 /872/2009/2/38 भोपाल, दिनांक 19/5/09

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
भोपाल।

आयुक्त, उच्च शि[illegible]नालय
[illegible]उच्च मंत्रा[illegible]
[illegible] क्रमांक 1300
[illegible] 20-5-09

विषयः- वर्ष 2009 हेतु संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार और इन्हीं भाषाओं में युवा विद्वानों को महर्षि व्यास सम्मान प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें।

उपरोक्त विषयांकित भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 15-1/09-संस्कृत-II दिनांक 17.4.2009 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

2. निर्देशानुसार कृपया तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

([illegible])
अवर सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

20 MAY 2009

गोपनीय

सं०एफ० 15-1/2009-संस्कृत-II
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17 अप्रैल, 2009

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।
4. सभी भारतीय विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों के कुलपति।
5. सम्मान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों।
6. विदेश मंत्रालय (सभी भारतीय दूतावास)।

विषयः- वर्ष 2009 हेतु संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण-पत्र पुरस्कार और इन्हीं भाषाओं में युवा विद्वानों को महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रदान करने के संबंध में [illegible]

महोदय,

संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए सम्मान प्रमाण-पत्र पुरस्कार प्रदान करने संबंधी योजना की शुरुआत 1958 में की गई थी। वर्ष 1996 में इस योजना में पाली और प्राकृत भाषा को भी शामिल किया गया। वर्ष 2008 से इस योजना का और विस्तार करते हुए संस्कृत के क्षेत्र में लाइफटाइम उपलब्धि के लिए अप्रवासी भारतीयों अथवा विदेशियों हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को भी शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त करने वाले को एक सनद और एक शॉल प्रदान किए जाने के अलावा संस्कृत के विद्वानों को 5.00 लाख रु. का एक मुश्त अनुदान और पाली/प्राकृत, फारसी तथा अरबी भाषा के विद्वानों को जीवनपर्यंत 50,000/-रु. प्रति वर्ष दिया जाता है। इस योजना के तहत संस्कृत के लिए अधिकतम 15 पुरस्कार, अरबी और फारसी प्रत्येक के लिए तीन-तीन और पाली/प्राकृत के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है।

2. वर्ष 2002 से 30-40 आयु वर्ग के युवा विद्वानों हेतु संस्कृत भाषा में पांच पुरस्कार, पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी भाषा में एक-एक पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। यह पुरस्कार महर्षि बादरायण व्यास सम्मान कहलाता है। इस पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक विद्वान को एक सनद और एक शॉल प्रदान किए जाने के साथ-साथ 1.00 लाख रुपये की एक मुश्त राशि भी दी जाती है।

3. अतः निम्नलिखित के लिए नामांकन आमंत्रित किया जाता है :-

3.1 **संस्कृत भाषा हेतु पुरस्कार**

- 5.00 लाख रु0 के एक मुश्त नकद अनुदान वाले 15 राष्ट्रीय पुरस्कार
- अप्रवासी भारतीयों अथवा गैर-भारतीय मूल के व्यक्तियों हेतु 5.00 ला रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

3.2 **पाली/प्राकृत, अरबी तथा फारसी हेतु पुरस्कार**

- अरबी भाषा के लिए जीवनपर्यत 50,000/-रु0 प्रतिवर्ष के नकद अनुद वाले 3 पुरस्कार
- फारसी भाषा के लिए जीवनपर्यत 50,000/-रु0 प्रतिवर्ष के नकद अनुद वाले 3 पुरस्कार
- पाली/प्राकृत के लिए जीवनपर्यत 50,000/-रु0 प्रतिवर्ष के नकद अनुद वाला एक पुरस्कार

3.3 **महर्षि बादरायन व्यास सम्मान**

संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी तथा फारसी भाषा के क्षेत्र में 30-40 वर्ष आयु वर्ग के युवा विद्वानों हेतु **महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान।**

- संस्कृत भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान व 5 पुरस्कार
- पाली/प्राकृत भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला 1 पुरस्कार
- अरबी भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला 1 पुरस्कार
- फारसी भाषा हेतु 1.00 लाख रु0 के एकमुश्त नकद अनुदान वाला 1 पुरस्कार

4. तद्नुसार आपसे अनुरोध है कि संस्कृत, पाली/प्राकृत, अरबी, फारसी विद्वा के नामों की इन सम्मानों हेतु सिफारिश करते समय संस्कृत, अरबी, फारसी अथ पाली/प्राकृत अध्ययन के क्षेत्र में केवल उन्हीं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सिफारिश करें जिन पास शिक्षण अनुभव हो, उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हों तथा जिन्होंने परंपरागत संस्कृ अरबी, फारसी अथवा पाली/प्राकृत अध्ययन को जीवित रखा है।

5. महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान हेतु विद्वानों के नामों की सिफारिश करते समय उन्हीं युवा विद्वानों की सिफारिश करें जिन्होंने अंतरविषयक अध्ययनों में उपलब्धि हासिल की है, जिनमें आधुनिकता एवं परम्परा के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में संस्कृत अथवा प्राचीन भारतीय बुद्धिजीवियों और इन भाषाओं में विज्ञान को बढ़ावा देने के कार्य में लगे वैज्ञानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों का योगदान शामिल है।

6. सिफारिशों में उस विशिष्ट उपलब्धि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए पुरस्कार की सिफारिश की जाती है और इसे विद्वान के 'चरित्र एवं पूर्ववृत प्रमाण पत्र' के साथ संलग्न प्रपत्र में 15 जून, 2009 तक मंत्रालय को भेज देना चाहिए। अधूरी सिफारिशों और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

7. "सम्मान प्रमाण पत्र" तथा व्यास सम्मान प्रदान करने के लिए अनुशंसित विद्वानों से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी के अभाव में इन सिफारिशों पर समुचित विचार करने में कठिनाई आती है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में विस्तृत विवरण भरकर भेजें। यदि विद्वानों से संबंधित जानकारी के साथ-साथ पुरस्कार के लिए अनुशंसित विशिष्ट विद्वानों के उल्लेखनीय प्रकाशन भी भेजे जाएं तो यह अत्यंत मददगार साबित होगा।

8. यह भी अनुरोध है कि अनुशंसा करने से पूर्व, राज्य सरकार आदि इस प्रयोजनार्थ उन व्यक्तियों से संबंधित जानकारी का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। यदि राज्य सरकार विद्वानों के प्रारंभिक चयनार्थ विशेषज्ञ समिति का गठन करें तो इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि पुरस्कार के लिए सिफारिशों के योग्य कोई उपयुक्त विद्वान नहीं पाया जाता तो "शून्य" सूचना भेजने की कृपा करें। उन विद्वानों के नाम जिनकी सिफारिश पिछले वर्ष की गई थी परन्तु उनका चयन नहीं हुआ था, उन्हें इस वर्ष के पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जा सकता है।

9. इन पुरस्कारों के लिए विद्वानों की अनुशंसा करते समय इस बात पर बल दिया जाए कि पुरस्कार केवल उन्हीं विद्वानों के लिए है जिन्हें अपनी-अपनी भाषाओं और संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में निपुणता हासिल है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों के लिए नहीं हैं जिन्हें इन भाषाओं में उपलब्ध साहित्य का अल्पज्ञान है।

10. यह भी अनुरोध है कि जहां कहीं आवश्यक हो वहां अनुशंसा से पूर्व विश्वविद्यालयों/साहित्यिक तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों आदि से गुप्त रूप से परामर्श भी कर लिया जाए।

11. विगत के कुछ मामलों में यह पाया गया है कि सम्मान पुरस्कार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार आदि द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कारों की घोषणा करने से पहले ही हो गई थी परन्तु पुरस्कार की घोषणा करने से पहले यह बात भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई। इनके परिणामतः ऐसे मामलों में पुरस्कार की घोषणा कर दी गई जिससे सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अतः अनुरोध है कि यदि पुरस्कार की घोषणा किए जाने से पहले राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना इस मंत्रालय को शीघ्र भेज दी जाए।

12. अनुशंसा करने वाले प्राधिकारियों से विशेष रूप से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से विद्वानों के आवेदन पत्रों अथवा अनुरोधों पर विचार न करें और इस प्रकार इस पुरस्कार की गोपनीयता तथा गरिमा बनाए रखें। संबंधित विद्वानों के बारे में संपूर्ण जानकारी/ब्यौरा अन्य स्रोतों से सावधानीपूर्वक पूछताछ करके इस प्रकार एकत्र की जाए ताकि विद्वान इस बात से अनभिज्ञ रहें कि उनके नाम की अनुशंसा की जा रही है। अनुशंसा के साथ विद्वानों द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई सामग्री पर न तो विचार करना चाहिए और न ही यह भेजी जानी चाहिए। विद्वानों द्वारा अपने बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी को छुपाना उनके लिए अहितकर होगा और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

भवदीय

विनोद कुमार

(वी. के. अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011-23381782

संलग्नकः यथोपरोक्त

वर्ष 2009 के लिए राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार तथा महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान प्रदान करने के लिए सिफारिश करने हेतु प्रपत्र

संस्तुत पुरस्कार (कृपया निशान लगाएँ)

I	सम्मान प्रमाण पत्र (60 वर्ष और इससे अधिक आयु के विद्वानों हेतु)	
	महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान (30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवा विद्वानों हेतु)	

वह क्षेत्र जिसके लिए सिफारिश की गई है (कृपया निशान लगाएँ)

II	संस्कृत		पाली/प्राकृत		अरबी		फारसी	

III	पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश करने वाले विद्वान का नाम (मोटे अक्षरों में)	
	पुरस्कार प्राप्त करने का वर्ष	

वर्ष 2009 के लिए सिफारिश

(सिफारिश किए गए व्यक्ति का ब्यौरा)

1.	नाम(बड़े अक्षरों में)	:	
2.	पूरा पता	:	
3.	i) जन्म तिथि	:	दिन / माह / वर्ष
	ii) आयु		वर्ष / माह
4.	(क) अर्हताओं सहित विश्वविद्यालय का नाम, वर्ष और श्रेणी/डिवीजन	:	
	(ख) उस संगठन जिसमें सेवा की है, के ब्यौरे सहित, धारित पद और सेवा की अवधि और अनुभव	:	
	(ग) विशेषज्ञता का विषय	:	
	परम्परागत विद्वानों के लिए (जहां लागू हो)	:	
	(क) स्थान तथा अध्ययन की अवधि तथा गुरुओं के नाम	:	
	(ख) उच्चतर अध्ययन जिनमें परम्परागत विद्वानों ने विशेषज्ञता प्राप्त की हो	:	
	(ग) उन छात्रों की संख्या जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की तथा उन्हें किस स्तर तक पढ़ाया गया	:	
	(घ) डिग्री/डिप्लोमा यदि कोई हो तथा परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय का नाम तथा वर्ष	:	

5.	(क) अध्ययन की शाखाएँ (ख) विकृत पाठ में विशेषज्ञता (ग) क्या भाष्य का अध्ययन किया है? यदि हां, तो उत्तीर्ण की गई परीक्षा।	:	
6.	प्रकाशित पुस्तकें/लेख (क) लिखित (ख) सम्पादित (ग) अनूदित कृपया विषय/भाषा का उल्लेख करें।	:	
7.	छात्रों/शोध विद्वानों की संख्या जिन्होंने आपके मार्गदर्शन में पीएचडी/डी लिट आदि प्राप्त किया	:	
8.	पहले से प्राप्त मान्यता/सम्मान I) मान्यता/सम्मान का नाम II) वर्ष III) प्रदान करने वाले प्राधिकरण/संगठन का नाम	:	
9.	संबंधित भाषा को लोकप्रिय बनाने में विशेष योगदान का ब्यौरा	:	
10.	सम्मेलन/कवि सम्मेलन/वाद-विवाद/विद्वत सभा जिनमें भाग लिया हो, यदि कोई हो(स्थान, तिथि तथा आयोजक का ब्यौरा और प्रस्तुत किए गए शोध पत्र)	:	
11. #	अंतर विषयक अध्ययनों में कोई उपलब्धि अथवा किया गया कार्य जिसके तहत आधुनिकता तथा [illegible] के बीच [illegible] की प्रक्रिया में संस्कृत अथवा प्राचीन भारतीय ज्ञान में योगदान शामिल है।	:	
12.	विद्वानों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुशंसित करने का यदि कोई विशेष कारण/विस्तृत औचित्य हो तो, बताएं	:	

दिनांकः

....

(पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश करने वाले विद्वान के हस्ताक्षर)

$ केवल ब्यौरों का उल्लेख करें। पुस्तकें/प्रकाशन संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस कॉलम को विशेष रूप से बद्रयान व्यास सम्मान के लिए संस्तुत विद्वानों और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान पृष्ठभूमि वाले अन्य विद्वानों के लिए भरा जाना है।

चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र

मैं...सुपुत्र/सुपुत्री श्री...

निवासी..वर्ष..................... में राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्र

पुरस्कार प्राप्तकर्ता, एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मैं...

सुपुत्र/सुपुत्री श्री...निवासी..

..........................को पिछले ....वर्षों से जानता हूँ तथा उनका नैतिक चरित्र अच्छा है। किसी कानूनी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा लम्बित नहीं है और विगत में भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।

(   )
सिफारिश करने वाले विद्वान
का नाम और हस्ताक्षर

स्थानः

तिथिः